16/2/26 ... ने/...

... ने आज कार्य स्थगित रखा ...
... पूर्ववत कार्यवाही की पालना में दिनांक 23/2/26
को पेश हो।

आदे...
न्यायालय ...
सहायक क...

23/2/26

आज PO सा. के प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/राजकार्य
से दौरे/अवकाश/स्थानान्तरण ... पत्रावली पूर्ववत
कार्यवाही हेतु उनके समक्ष दिनांक...16/4/26
को पेश हो।

रीडर
न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

16/4/26

उभयपक्ष के वकील उपस्थित। उन्हें प्रा० पत्र पर सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रा० पत्र तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि उक्त अनवाद प्रकरण पत्रावली दिनांक 6/5/25 को प्रा० पत्र आदेश 7 नियम 10 CPC के जवाब हेतु नियत थी एवं अधिवक्ता स्वयं न्यायालय में व्यस्त रहने के कारण उपस्थित नहीं हो सके। प्रकरण अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। वकील प्रार्थीगण की वक्त गैरहाजिर अनुपस्थिति स्वाभाविक थी क्योंकि अधिवक्ता ने वादीगण को हर तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने हेतु आश्वासन दे रखा था। फलस्वरूप वादीगण भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण पुनः नंबर पर लेने का निवेदन किया।

मैंने प्रार्थना-पत्र तथ्यों एवं रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया, जिससे यह जाहिर होता है कि प्रकरण/वाद दिनांक 6/5/25 को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया गया एवं बाजयानी प्रा० पत्र दिनांक 13/5/25 को पेश किया गया है जो समयावधि में प्रस्तुत किया है। वकील प्रतिवादीगण ने भी प्रार्थना-पत्र पर कोई आपत्ति नहीं की है, जिससे प्रार्थना-पत्र बाजयानी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मूल वाद को पुनः नंबर पर लिए जाने के आदेश दिए जाते हैं। यह प्रार्थना-पत्र मूल वाद पत्रावली के साथ शामिल किया जाकर प्रा० पत्र बाजयानी दर्ज फैसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं संग्रहणागार हो।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर